



वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास इको-सेंसिटिवि ज़ोन

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी [वायनाड वन्यजीव अभयारण्य](#) के आस-पास के क्षेत्र को [पर्यावरण संवेदी क्षेत्र](#) यानि इको-सेंसिटिवि ज़ोन (ESZ) घोषित करने से संबंधित मसौदा अधिसूचना के खिलाफ वायनाड (केरल) में वरिध प्रदर्शन किया जा रहा है।

प्रमुख बटु:

■ मसौदा अधिसूचना:

- मसौदा अधिसूचना के अनुसार, 118.5 वर्ग कर्मी क्षेत्र को इको-सेंसिटिवि ज़ोन (ESZ) के रूप में चहिनति किया गया है, जिसमें से 99.5 वर्ग कर्मी. क्षेत्र अभयारण्य के बाहर है और शेष 19 वर्ग कर्मी. में अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले राजस्व गाँव भी शामिल हैं।
- ESZ के तहत **कई मानवीय गतिविधियों पर प्रतबिंध** लगा दिया जाएगा, जिसमें सभी नए और मौजूदा खनन, पत्थर का उत्खनन करने और उन्हें तोड़ने वाली इकाइयों तथा प्रदूषण पैदा करने वाले नए उद्योगों पर प्रतबिंध शामिल है।
 - इसमें बड़ी पनबजिली परियोजनाओं की स्थापना और नए आरा मल्लों, ईट भट्टों की स्थापना तथा ESZ के भीतर काष्ठ ईंधन के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतबिंध भी शामिल है।
- इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्र की सीमा या ESZ की सीमा (जो भी पास हो) तक, 1 कर्मी. के दायरे में कोई भी नया वाणज्यिक होटल और रसोर्ट खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यह अधिसूचना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नज्जी भूमि में भी वृक्षों की कटाई पर रोक लगाता है।

■ अधिसूचना का उद्देश्य:

- यह वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास नविस करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि [वन्यजीवों के हमलों](#) की बढ़ती घटनाओं के कारण वनों की सीमाओं पर रह रहे कसानों को सर्वाधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
 - पछिले 38 वर्षों के दौरान वन्यजीव हमलों के कारण ज़िले में 147 लोगों की मृत्यु हुई है।

■ मुद्दे:

- वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थिति 57 गाँव इको सेंसिटिवि ज़ोन के अंतर्गत आते हैं।
- आलोचकों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि मसौदा अधिसूचना ज़िले में **कृषि और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों को प्रभावित** करेगी, क्योंकि यह अधिसूचना वाहनों के आवागमन पर अंकुश लगाती है।
- यह अधिसूचना अभयारण्य सीमाओं पर नविस कर रहे हज़ारों कसानों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करेगी।
 - अभयारण्य के कनारों पर स्थिति 29,291 एकड़ नज्जी भूमि ESZ के अंतर्गत आ जाएगी, परणामस्वरूप इस क्षेत्र का विकास हमेशा के लिये अवरुद्ध हो जाएगा।


वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary)

- **अवस्थिति:** केरल राज्य के वायनाड ज़िले में अवस्थिति वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, [मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान](#) और साइलेंट वैली के साथ [नीलगरि बायोस्फीयर रज़िर्व](#) का हसिसा है।
 - इसका क्षेत्रफल 344.44 वर्ग कर्मी. है जिसमें चार वन रेंज सुल्थान बथेरी (Sulthan Bathery), मुथांगा (Muthanga), कुरचिअट (Kurichiat) और थोलपेट्टी (Tholpetty) शामिल हैं।
 - यह कर्नाटक के उत्तर-पूर्वी भाग में [बांदीपुर टाइगर रज़िर्व](#) और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जैसे अन्य संरक्षित क्षेत्रों के साथ दक्षिण-पूर्व में तमलिनाडु के [मुदुमलाई टाइगर रज़िर्व](#) को पारस्थितिक और भौगोलिक नरितरता (Ecological And Geographic Continuity)

प्रदान करता है।

◦ कबनी नदी (कावेरी नदी की एक सहायक नदी) अभयारण्य से होकर बहती है।

• स्थापना: इसे वर्ष 1973 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।



• जैव-विविधता:

- यहाँ पाए जाने वाले वन प्रकारों में दक्षिण भारतीय नम पर्णपाती वन, पश्चिमी तटीय अर्द्ध-सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी तथा ग्रेवेलिया आदि शामिल हैं।
- हाथी, गौर, बाघ, चीता/पैंथर, सांभर, चित्तीदार हरिण, कांकड़ (बारकागि डयिर), जंगली सूअर, सुस्त भालू या स्लॉथ बीयर, नीलगिरी लंगूर, बोनट मकाक, साधारण लंगूर, जंगली कुत्ता, उदबलाव, मालाबार वशाल गलिहरी आदि यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख स्तनधारी हैं।

• पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zones)

- इको-संसटिवि ज़ोन या पारस्थितिकि रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- इको-संसटिवि ज़ोन में होने वाली गतिविधियाँ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
- सामान्य सदिधांतों के अनुसार, इको-संसटिवि ज़ोन का वसितार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारस्थितिकि रूप से महत्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को इको-संसटिवि ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।
- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को न्यंत्रित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों की नकटवर्ती संवेदनशील पारस्थितिकि तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

आगे की राह

- मौजूद परदृश्य को देखते हुए पर्यावरण नीतियों के स्थानीय प्रभावों, नीतियों में स्थानीय भागीदारी के प्रकार एवं संभावनाओं तथा संरक्षण हेतु की जा

रही पहलों के आलोक में वैकल्पिक आय सृजन के अवसरों की संभावनाओं आदि पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/eco-sensitive-zone-around-wayanad-wildlife-sanctuary>

